TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 19TH MAY, 1997

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
*****

New Delhi, the 19th May, 1997

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.15(E) dated the 11th January, 1994 as amended vide notification number S.O.407(E) dated the 3rd May, 1995 issued under clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified the scheme of Anoopam Mission, Brahmajyoti Yogiji Marg, Mogri, Via Anand, Gujarat-388345 for Yogiji Maharaj Mahavidyalaya and Educational Complex(College) for rural women at Dhari, Gujarat as an eligible project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1996-97;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years and amendment in the cost of the project;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the scheme of Anoopam Mission, Brahmajyoti Yogiji Marg, Mogri, Via Anand, Gujarat-388345 for Yogiji Maharaj Mahavidyalaya and Educational Complex(College) for rural women at Dhari, Gujarat at the estimated cost of rupees one hundred ninety four lakh and fifty thousand plus a corpus fund of rupees eighty six lakh and fifty thousand only as an eligible project or scheme for a further period of two assessment years commencing from assessment years 1999-2000, i.e. Assessment Years 1999-2000 and 2000-2001.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10353
F.No. NC-62/97

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में
दिनांक 19 मई, 1997 को प्रकाशनार्थ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 19 मई, 1997

अधिसूचना

का0आ0 (अ) केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत दिनांक 3 मई, 1995 के का0आ0 407 (अ) द्वारा संशोधित दिनांक 11 जनवरी, 1994 के का. आ. 15 [अ] के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा अनुराग मिशन, ब्रह्म ज्योति योगी जी मार्ग मोगरी, वाया आनंद-गुजरात-388345 की धर्मी, गुजरात में ग्रामीण महिलाओं के लिए योगी जी महाराज महाविद्यालय और शिक्षण काम्पलेक्स (विद्यालय) की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था।

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की सम्भावना है,

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के उप नियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की तथा परियोजना की लागत में संशोधन करने की एक और सिफारिश की है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35क के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुराग मिशन, ब्रह्म ज्योति योगी जी मार्ग मोगरी, वाया आनंद-गुजरात-388345 की धर्मी, गुजरात में ग्रामीण महिलाओं के लिए योगी जी महाराज महाविद्यालय और शिक्षण काम्पलेक्स (विद्यालय) की योजना को केवल एक सौ चौरानबे लाख पचास हजार रुपये तथा छियासी लाख पचास हजार रुपये की कारपस निधि की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना के रूप में निर्धारण वर्ष 1999-2000 से शुरू होने वाले दो निर्धारण वर्षों की अवधि अर्थात् 1999-2000 और 2000-2001 के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

(वी0के0 सहगल)
उप सचिव, भारत सरकार

सं0 - 10353
फा0सं0 एन0सी0-62/97-